संख्या-24/2023/001-761-24-1-2023-81P-2015

प्रेषक,

अनुपम शुक्ला,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

विद्युत सुरक्षा निदेशालय,
विभूति खण्ड-2, गोमतीनगर,
लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग- 1

लखनऊ : दिनांक 04 मार्च, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मानक मद 03 मंहगाई भत्ता मद में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति दिये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विद्युत सुरक्षा निदेशालय के पत्र संख्या-11266 मु0/एक-5(बजट)/2022-23, दिनांक 11.01.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित धनराशि धनराशि रूपये 29,09,00,000/-(रूपये उनतीस करोड़ नौ लाख मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-113/2022/001-963-24-1-2022-81पी-2015, दिनांक 22 जुलाई, 2022 द्वारा धनराशि रूपये 19,73,42,000/- (रूपये उन्नीस करोड़ तिहत्तर लाख बयालिस हजार मात्र) एवं शासनादेश संख्या-64/2022/465/24-1-2022 -81पी-2015, दिनांक 18 अप्रैल, 2022 द्वारा धनराशि रूपये 9,35,58,000/-(रूपये नौ करोड़ पैंतीस लाख अठ्ठावन हजार मात्र) की स्वीकृति का आदेश निर्गत की गयी है। अब विद्युत सुरक्षा निदेशालय के मानक मदों में हो रही बचत की कुल धनराशि रूपये 51.60 तथा शेष धनराशि उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के लेखाशीर्षक से धनराशि रूपये 5,34,15,162/- में से रू0 78,80,000/- अर्थात कुल धनराशि रूपये 1,30,40,000/- को (संलग्न बी0एम0-09 प्रपत्र के अनुसार) पुनर्विनियोग के माध्यम से विद्युत सुरक्षा निदेशालय के मानक मद सं0-03 में रू0 93,40,000/- तथा मद सं0-55 मकान किराया भत्ता मे रू0 7,00,000/-एवं मद सं0-58 आउट सोसिंग सेवाओं हेतु भुगतान में रू0 30,00,000/- अर्थात कुल रू0 1,30,40,000/- (एक करोड़ तीस लाख चालीस हजार मात्र) व्यय करने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा उस मद में पुनः अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(2) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया

जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग मात्र बजट की उपलब्धता हेतु सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसका उपभोग वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(4) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति का दायित्व आपका होगा।

(5) उपरोक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा पूर्व निर्धारित नियमों/आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.12.2003 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा क्षेत्रीय/जोनल कार्यालयों के लिए धनराशि का तत्काल आवंटन कर शासन को अवगत कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय निम्न के नामे डाला जायेगा।

लेखाशीर्ष: 2045001030300 (विद्युत सुरक्षा निदेशालय)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	009	2045001030300 विद्युत सुरक्षा निदेशालय	03 मंहगाई भत्ता	93,40,000 (रुपये तिरानवे लाख चालीस हजार मात्र)
2	009	2045001030300 विद्युत सुरक्षा निदेशालय	55 मकान किराया भत्ता	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
3	009	2045001030300 विद्युत सुरक्षा निदेशालय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
	कुल			**1,30,40,000 (रुपये एक करोड़ तीस लाख चालीस हजार मात्र)**

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनुपम शुक्ला)
विशेष सचिव।

संख्या–24/2023/001-761-24-1-2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

(1) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।

(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।

(3) महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।

(4) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/गार्ड

आज्ञा से,

(अनुपम शुक्ला)
विशेष सचिव।